न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
522 / 2016 / प्रार्थना पत्र	17.11.2016	07.06.2017

उनवान

सुखदेव पिता कल्याणमल जाट निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1–2 मादूराम, मिश्रीलाल पिता नारायण जाट निवासी शाहपुरा
3–सीता पिता नारायण पत्नि खाना जाट नि0शाहपुरा हाल सरदारनगरत0 बनेड़ा
4– सोहनी बेवा नारायण जाट निवासी शाहपुरा
5– अंकित कुमार पिता श्यामाप्रसाद चैचाणी नि0 कलिंजरी गेट, शाहपुरा
6– नन्दु पत्नि जगन्नाथ सर्वा नि0 कुम्हार मौहल्ला तहनाल गेट रोड़, शाहपुरा
7– अशोक पिता जगन्नाथ सर्वा नि0 कुम्हार मौहल्ला तहनाल गेट रोड़, शाहपुरा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 (ए) आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री त्रिलोक चन्द नोलखा – अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, कस्बा शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आ0न0 2013 रकबा 0.98 है0, 2014 रकबा 0.26 है0 कुल किता 02 रकबा 1.26 है0 स्थित है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त मे होकर उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। प्रार्थी अपनी आराजीयात मे आने जाने हेतु आ0न0 2212 आम सड़क से पश्चिम की तरफ उतर कर आ0न0 2022, 2021, 2019 व 2018 के बदिशा दक्षिण की मेर से होते हुए प्रार्थी अपनी आ0न0 2014 के उत्तरी पूर्वी कोने पर वर्षो से कृषि उपकरण लेकर आता जाता रहता है। बेलगाड़ी, ट्रेक्टर के आने जाने हेतु चिन्ह बने हुए है। विपक्षीगणों ने आ0न0 2018 के दक्षिणी मेर पर भरी आने जाने के चिन्ह मौजूद थे जिसको हांक कर व मेर पर थोर लगाकर समाप्त कर दिये है। जबकि आ0न0 2014 के उत्तरी पूर्वी कोने पर आज भी प्रार्थी के ट्रेक्टर के आने जाने के चिन्ह मौजूद है। आ0न0 2022, 2021, 2019 के मालिकों द्वारा रास्ते मे किसी तरह का अवरोध पैदा नही करने के कारण उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। विपक्षीगणों की आराजी मे से प्रार्थी का रास्ता कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु जो भूमि रास्ते के लिये उपयोग मे जो राशि आयेगी उसकी प्रार्थी नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। जिससे विपक्षीगणों की आ0न0 2018 के बदिशा दक्षिण मे स्थायी रूप से रास्ता दर्ज कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.12.2016 को विपक्षी नं0 1 व 4 स्वयं उपस्थित हुये विपक्षी नं0 2 व 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने जाने उपरान्त भी उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई तथा तहसीलदार शाहपुरा को प्रार्थना पत्र की प्रति भेजकर बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 17.01.2017 को विपक्षीगण 1 व 4 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे बिन्दुवार

रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 31.01.2017 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 मय दस्तावेज पेश किया जिस पर सुना जाकर स्वीकार किया गया। संशोधन प्रार्थना पत्र मय प्रोसेस सम्मन पेश किया गया जिससे विपक्षीगण की तलबी की गई। दिनांक 14.09.2017 को विपक्षी 5 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 28.03.2017 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बताया कि पूर्व मे जो संशोधन प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो अपूर्ण है नन्दु, अशोक को पक्षकार नही बनाया गया। पूर्ण संशोधन प्रार्थना पत्र मय प्रोसेस सम्मन विपक्षीगण 6 व 7 की तलबी हेतु पेश किया गया। दिनांक 03.04.2017 को विपक्षी नं0 6 व 7 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब पेश किया। प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। पुनः दिनांक 25.04.2017 को तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया कि प्रार्थी द्वारा वांछित भूमि की किस किस खातेदार की कितनी कितनी भूमि रास्ता हेतु दी जावेगी व वर्तमान मे प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि किस किस खातेदार को कितनी कितनी राशि का भुगतान किया जावेगा स्पष्ट रिपोर्ट मंगवाई गई। जो उनके पत्रांक 873 दिनांक 23.05.2017 से प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खातेदार अंकित पिता श्यामा प्रसाद चैचाणी नि0 शाहपुरा की आ0न0 2022 रकबा 0.26 है0 किस्म बारानी प्रथम मे से 10 फीट चौड़ा व 53 फीट लम्बा कुल 530 वर्गफीट भूमि तथा इसी खातेदार के आ0न0 2021 रकबा 0.234 है0 बारानी प्रथम मे से 10 फीट चौड़ा व 66 फीट लम्बा कुल 660 वर्गफीट भूमि रास्ते के उपयोग मे आयेगी इस प्रकार खातेदार अंकित पिता श्यामा प्रसाद चैचाणी निवासी शाहपुरा के आ0न0 2022 व 2021 मे से कुल 1190 वर्गफीट यानि 0.01 है0 भूमि रास्ते हेतु उपयोग मे आयेगी। ग्राम शाहपुरा की बारानी भूमि की निर्धारित डी0एल0सी0 2374500 रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे प्रश्तगत प्रकरण मे 1190 वर्गफीट (0.01 है0) के कुल 23745 बनते है जिसका दुगना 47490/- रूपये बनते है। खातेदार मादुराम, मिश्रीलाल पिता नारायण, सीता पुत्री नारायण, सोहनी पत्नि नारायण जाट सा0 शाहपुरा के आ0न0 2019 रकबा 0.30 है0 किस्म बारानी प्रथम मे से 10 फीट चौड़ा व 38 फीट लम्बा कुल 380 वर्गफीट भूमि एवं इसी खातेदार के आ0न0 2018 रकबा 0.49 है0 किस्म बारानी प्रथम मे से 10 फीट चौड़ा व 63 फीट लम्बा कुल 630 वर्गफीट भूमि रास्ते के उपयोग मे आयेगी। इस प्रकार खातेदार मादुराम, मिश्रीलाल पिता नारायण, सीता पुत्री नारायण, सोहनी पत्नि नारायण जाट के आ0न0 2019 व 2018 मे से कुल 1010 वर्गफीट भूमि यानि 0.009 है0 भूमि रास्ते हेतु उपयोग मे आयेगी। ग्राम शाहपुरा की बारानी भूमि की निर्धारित डी0एल0सी0 2374500 रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे प्रश्तगत प्रकरण मे 1110 वर्गफीट (0.01 है0) के कुल 23745 बनते है जिसका दुगना 47490/- रूपये बनते है। इस प्रकार दोनो खातेदारों की कुल राशि 94980/- रूपये बनते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शाहपुरा मे स्थित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आ0न0 2013 रकबा 0.98 है0, 2014 रकबा 0.26 है0 कुल किता 2 रकबा 1.24 है0 मे आने जाने हेतु बिलानाम गैर काबिल काश्त गै0मु0 रास्ता आ0न0 1914 रकबा 1.17 है0 मे से होते हुए खातेदार अंकित पिता श्यामा प्रसाद चैचाणी निवासी शाहपुरा के आ0न0 2022 व 2021 मे से कुल 1190 वर्गफीट यानि 0.01 है0 भूमि रास्ते हेतु उपयोग मे आयेगी। ग्राम शाहपुरा की बारानी

भूमि की निर्धारित डी0एल0सी0 2374500 रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे प्रश्तगत प्रकरण मे 1190 वर्गफीट (0.01 है0) के कुल 23745 बनते है जिसका दुगना 47490/- रूपये बनते है। खातेदार मादुराम, मिश्रीलाल पिता नारायण, सीता पुत्री नारायण, सोहनी पत्नि नारायण जाट सा0 शाहपुरा के आ0न0 2019 रकबा 0.30 है0 किस्म बारानी प्रथम मे से 10 फीट चौड़ा व 38 फीट लम्बा कुल 380 वर्गफीट भूमि एवं इसी खातेदार के आ0न0 2018 रकबा 0.49 है0 किस्म बारानी प्रथम मे से 10 फीट चौड़ा व 63 फीट लम्बा कुल 630 वर्गफीट भूमि रास्ते के उपयोग मे आयेगी। इस प्रकार खातेदार मादुराम, मिश्रीलाल पिता नारायण, सीता पुत्री नारायण, सोहनी पत्नि नारायण जाट के आ0न0 2019 व 2018 मे से कुल 1010 वर्गफीट भूमि यानि 0.009 है0 भूमि रास्ते हेतु उपयोग मे आयेगी। ग्राम शाहपुरा की बारानी भूमि की निर्धारित डी0एल0सी0 2374500 रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे प्रश्नगत प्रकरण मे 1110 वर्गफीट (0.01 है0) के कुल 23745 बनते है जिसका दुगना 47490/- रूपये बनते है। इस प्रकार दोनो खातेदारों की कुल राशि 94980/- रूपये बनते है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहॉ राशि जमा कराने पर खातेदारान को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही किये जाने उपरान्त उपरोक्त वर्णित भूमि को राजस्व रेकार्ड मे गै0मु0 रास्ता इन्द्राज व नक्शे मे तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)